बंध्याकरण (आपरेशन) कराने वाले राज्य कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश

नरेन्द्र सिंह सालासर
वरिष्ठ सहायक

(iii) परिवार कल्याण संबंधीत निर्देशः– (**Special Casual leave**)

उन राज्य कर्मचारियों को, जो बन्ध्याकरण आपरेशन करावे, निम्नलिखित आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जावेः– पुरूप–06 दिन महिलायें–14 दिन।

I. महिला राज्य कर्मचारियों, जो साल्पिंगक्टोमी (Salpingectomy) के लिए पुरपेरल या नॉन पुरपेरल (Puerperal or non-puerperal) शल्य चिकित्सा कराती है,

A. जब यह बचे का जन्म होने के 5 दिन की पश्चात् की जाती है तब वह पुरपेरल बंध्याकरण कहलाता है। जिसमें अवकाश देय नहीं हैं

B. जब यह किसी अन्य समय पर की जाती है तक तब उसे नोनपुरपेरल अथवा पाईपेकोलोजिकर (गाईलेन्स) बन्ध्याकरण कहते है। में आपरेशन तथा आपरेशन के पश्चात विश्राम के लिए 14 दिन आपेक्षित है।

❖ चुकि पुरपेरल बन्ध्याकरण में महिला राज्य कर्मचारी बच्चा होने की तारीख से 6 माह अथवा जच्चा अवकाश के प्रारम्भ में तीन माह तक जच्चा अवकाश पाने की पहले से ही अधिकारी होती है इसलिए यह निर्णय किया गया है कि पुरपेरल बन्ध्याकरण कराने वाली महिला राज्य कर्मचारी को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(नियम के बिन्दु संख्या–5) आपरेशन फेल होने पर पुनः 14 दिन दिया जा सकता है बशर्ते कि डॉक्टर इस आशय का प्रमाण पत्र कि प्रथम शल्य चिकित्सा असफल रही और दुसरी बार शल्य चिकित्सा वास्तव में की गई, पेश करने पर उसे सामान्य तौर पर 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता हैं

C. आकस्मिक अवकाश अथवा नियमित अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है बशर्ते कि विशेष आकस्मिक अवकाश के आधिक्य में ऐसे अवकाश के लिए सिफारिश डाक्टर सलाह पर की गयी हो और अवकाश की पुष्टि में संबंधि राज्य कर्मचारी पर लागू होने वाले नियमों के अधीन उचित चिकित्सा प्राधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो। किन्तु किसी भी दशा में विशेष आकस्मिक अवकाश को किसी आकस्मिक अवकाश तथा नियमित अवकाश दोनो में एक साथ जोड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहियें।

D. जिस कार्मिक की पत्नी नॉन पुरपेरल बन्ध्याकरण करवाती है तो उनके देखभाल के लिए 07 दिन (एससीएल) विशेष आकस्मिक अवकाश देय है।

E. पुरूष कार्मिक को बंध्याकरण करवाने पर 06 दिन का विशेष आकस्मिक स्वीकृत किया जावेगा।

(नियम बिन्दु संख्या–4) :– फेल होने पर पुनः 6 दिन दिया जा सकता है बशर्ते कि डॉक्टर इस आशय का प्रमाण पत्र कि प्रथम शल्य चिकित्सा असफल रही और दुसरी बार

शल्य चिकित्सा वास्तव में की गई, पेश करने पर उसे सामान्य तौर पर 6 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।

F. अतः महिला पुरूष दोनो को आपरेशन फेल होने पर एक बार दिया जा सकता हैं ।

G. महिला राज्य कर्मचारियों परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.यू.सी.डी. (इंट्रा उट्राइन गर्भनिरोधक उपकरण) (लूप) लगवाना चाहती है, को एक दिन का विशेष आकस्मिक की स्वीकृती।

H. एक सरकारी कर्मचारी को जो पुनर्नालीकरण (रीकेनेलाइजेशन) के लिए आपरेशन करवाता है, 21 दिन या प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित अस्पतालवास की वास्तविक अवधि जो भी कम हो, के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। इसके साथ ही आपरेशन करने के लिए की गयी दोनो ओर की यात्रा की वास्तविक अवधि के लिए भी विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जावेगा।

पुनर्नालीकरण आपरेशन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन होगीः–

(1) आपरेशन किसी राजकीय /अनुमोदित अस्तपाल में किया गया हो।

(2) प्रार्थना पत्र उसी चिकित्सक के जिसने आपरेशन किया है चिकित्सकीय प्रामाण–पत्र द्वारा प्रस्तुत हो कि–उसमें वर्णित अवधि के लिए उसका अस्पतालवास आपरेशन तथा आपरेशन पश्चात स्वस्थ होने के लिए आवश्यक था।

उपरोक्त छुट उन सरकारी कमचारियों को भी अनुज्ञेय होगी, जो (क) अविवाहित है, (ख) जिनके दो से कम बच्चे है, या (ग) वह किन्ही आधारभूत कारणों से पुनर्नालीकरण करवाना चाहता है, जैसे–किसी व्यक्ति के सभी लड़के या लड़कियां बन्ध्याकरण आपरेशन के बाद मर गये हो।

- नोटः– बन्ध्याकरण या पुनर्नालीकरण से संबंधित विशेष आकस्मिक अवकाश को नियमित अवकाश के पहले जोड़ा जा सकता है, किन्तु इसे आकस्मिक अवकाश के साथ तथा नियमित अवकाश के पीछे नहीं जोड़ा जा सकता है।
  (**Special casual leave connected with sterilisatin/ recanalisation may be prefixed to regular leave, but it cannot be combined with casual leave suffixed to regular leave.**)

नरेन्द्रसिंह सालासर
वरिष्ठ सहायक
एमजीजीएस सालासर

N.singh salasar
Senior Assistent